छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 2049 /2455/2017/1/5 नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर

विषयः— औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार (DIPP) द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत प्राप्त सुधारों के क्रियान्वयन के अंतर्गत केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू किये जाने हेतु निर्देश।

संदर्भः— वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र कमांक एफ 20—22/2017/11/6 दिनांक 21.08.2017

—:0:—

विषयांतर्गत लेख है कि विभिन्न विभागों द्वारा समय—समय पर औद्योगिक संस्थानों के समयबद्ध निरीक्षण किये जाते है। यह निरीक्षण विभिन्न विभागो द्वारा अलग—अलग कालखण्ड/तिथियों में किये जाने से औद्योगिक संस्थानों के दैनंदिनी कार्यो में व्यवधान होता है तथा संस्थान की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

2/ व्यवसाय में सरलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा Ease of Doing Business 2017 अंतर्गत विभिन्न सुधारों के क्रियान्वयन का निर्देश दिया गया है। Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समयबद्ध निरीक्षण में दोहराव को दूर कर साथ—साथ सुनिश्चित करने, निरीक्षण के ढांचे में सुधार करने, निरीक्षण में पारदर्शिता लाने एवं विभिन्न विभागों के मध्य निरीक्षण संबंधी जानकारी साझा करने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) निर्मित करता है तथा इसके अन्तर्गत केन्द्रीय निरीक्षण एजेंसी (Central Inspection Agency) का गठन किया जाता है।

3/ वर्तमान में केन्द्रीय निरीक्षण संस्थान के लिये श्रम विभाग नोडल विभाग होगा। इस एजेंसी के तहत श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, वाष्पयंत्र निरीक्षक एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले समस्त अनुपालन निरीक्षण (Compliance Inspection) विनियमित किये जायेंगे।

4/ जिन औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया जाना है, उनका कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली द्वारा उनका जोखिम की श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण किया जावेगा। निरीक्षण का दिनांक,

क्रमशः—2

O/C

समयावधि, निरीक्षण पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने कार्यवाही Central Inspection System पर किया जावेगा। केन्द्रीय निरीक्षण संस्थान के अंतर्गत आने वाले विभागों के निरीक्षकों द्वारा औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्यतः 24 घण्टों के भीतर Central Inspection System में ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।

5/ इन निर्देशों के पालन के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी संबंधित विभागीय नियमों/प्रक्रिया को उपरोक्त वर्णित अनुसार संशोधित समझा जायेगा। औचक निरीक्षण यथा आवश्यक संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुमति से किये जा सकेंगे।

6/ संबंधित विभागों के लिए उक्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। भविष्य में Central Inspection System से संयोजित होने वाले अन्य निरीक्षणों के लिए ये निर्देश उनके संयोजन दिनांक से प्रभावशील होगा।

(डी.डी.सिंह) 28/8
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्र.2050 /2455/2017/1/5 नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :–

1 **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2 **संचालक,** उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित

सचिव, 28/8
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

Annexure-VII

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

क्रमांक 4996 / मु /तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 19/1 /2016

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग–भिलाई/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर

विषय :– **Ease of Doing Business** के संबंध में।

----:OO:----

आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत् आवेदन पत्रों का सरलीकरण, स्वीकृति/अनुमोदन हेतु वांछित प्रकियाओं का सरलीकरण, प्रकियाओं के लिए समयसीमा का निर्धारण आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस अनुक्रम में मंडल मुख्यालय द्वारा आपको आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये हैं। **Ease of Doing Business** प्रकिया में और सुधार करने के दृष्टिगत आपको निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. निरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों में **Risk Assessment** के आधार पर **High Risk** वाली इकाईयों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।
2. किसी भी अधिकारी द्वारा एक ही इकाई का निरीक्षण लगातार दो बार न किया जावे अर्थात् प्रत्येक इकाई का दूसरी बार निरीक्षण प्रथम निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा न किया जाकर, किसी दूसरे अधिकारी द्वारा किया जावे।
3. हरी श्रेणी के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त रखा जावे।
4. उद्योगों की निरीक्षण रिपोर्ट पूर्व में जारी आदेश (क्रमांक 1189 दिनांक 19/06/2015) में उल्लेखित समयसीमा 72 घंटे के स्थान पर 48 घंटे में भेजा जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे एवं की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय को कार्यालय को अवगत करावे।

19/1/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 4997 /मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 19/1 /2016

सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

19/1/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

D/CECB/Ease of Doing Business/Covering Letter

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय,महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 30/06/2016

कमांक 1090/371/2016/16 :– औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित सुधार कार्य योजना अंतर्गत निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनाओं में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु जारी अधिसूचना कमांक 1090/371/2016/16 दिनांक 6.6.2016 में राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्

//संशोधन//

उक्त अधिसूचना के बिन्दु कमांक 3. निम्न जोखिम वर्ग में उल्लेखित निरीक्षण "प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 05 प्रतिशत" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये –

"इस श्रेणी के कारखानों/संस्थानों में जिनका श्रम कानूनों के पालन का रिकार्ड अच्छा है उन्हें निरीक्षण से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है, ऐसे कारखाने/संस्थान स्व–प्रमाणीकरण द्वारा श्रम कानूनों का पालन कर सकते हैं।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपालन के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/6/16
(याकुब खेस्स)
उप सचिव, श्रम विभाग

पृ.कमांक 1090-B /371/2016/16, नया रायपुर, दिनांक 30/06/2016

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
4. मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
5. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नया रायपुर ।

.....2

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक– 30.03.2016

कमांक.731/676/2016/16, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिए अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है ।

सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापन यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.A.S.LI.) या सेन्ट्रल ब्यॉलर बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रकिया से मुक्त रखा जायेगा जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय–सीमा तक 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

30/3/16
ओ/सी (याकुब खेस्स)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृ.क.732/676/2016/16 रायपुर, दिनांक – 30.03.16

प्रतिलिपि–

1 निज सहायक, मान मंत्रीजी, श्रम विभाग, छ.ग.शासन, रायपुर ।
2 स्टाफ आफिसर,अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,श्रम विभाग,मंत्रालय, रायपुर(छ.ग.)
3 श्रमायुक्त,छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
4 मुख्य कारखाना निरीक्षक, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, रायपुर ।
5 संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,छ.ग.रायपुर ।
6 विभाग के सभी संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7 उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

30/3/16
ओ/सी उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Commercial Complex, Chhattisgarh Housing Board Colony,
Kabir Nagar, Raipur (C.G.)

No. 1831 /TS/CECB/2016, dated: 25/06/2016

- : Office Order :-

Subject: Regarding exemption from annual routine inspection to medium risk / orange category industries on submission of Third Party Certification from Board Recognized Inspection Agencies

Central Pollution Control Board has classified industries into Red, Orange and Green category considering pollution generated from industries. As per the above classification, the prevalent policy is of inspecting medium risk / orange category industrial units at periodic intervals of time.

Without compromising matters on environment and in continuation of Office Order no. 5734/TS/CECB/2016, Dated 24/02/2016, to facilitate industrial units as part of ongoing Ease of Doing Business (EoDB) exercise and also for better public administration, it has now been decided that such medium risk / orange category industries, may be exempted from annual routine inspection, if they submit compliance report in prescribed format with-self certification, after inspection through Board recognized third-party.

In special cases such as complaint against the industrial unit and/or court case and/or in case where Board feels necessary, such exemption will not be applicable and competent officer of the Board shall decide and inspect the industrial unit.

Above referred third party certification has to be obtained by Board's recognized inspection agencies. Moreover, if in any case any discrepancy is found in the certificate issued by the agency, then in such cases, this matter will be brought to the notice of Board through concerned unit head & after proper verification by the Board, steps like short-term de-recognition, long-term de-recognition, permanent de-recognition, black listing of third-party inspecting agency and any other legal remedies available in law, shall be taken against the defaulting agency.

This circular is as per the approval granted by competent authority.

25/6/16

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Raipur (C.G.)

CHHATTISGARH ENVIRONMENT CONSERVATION BOARD
Commercial Complex, Chhattisgarh Housing Board Colony,
Kabir Nagar, Raipur (C.G.)

No. 1854 /TS/CECB/2016, dated: 27/06/2016

To,

1. **Vice Chancellor,**
   Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University
   North park Avenue, Sector-8- Bhilai, Chhattisgarh
2. **Director**
   National Institute of Technology
   G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh

Subject: Regarding exemption from annual routine inspection to orange category industries on submission of Third Party Certification from Board Recognized Inspection Agencies

Ref: Office Order no. 1831/TS/CECB/2016, dated: 25/06/2016

With reference to the Office Order cited above, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur hereby authorizes your institution to verify the compliance status with respect to standards/conditions stipulated by the Board in the consent orders issued under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981 and their amendments and Hazardous Waste authorizations issued under HWM rules of the Environment Protection Act, 1986 for orange category of industries of the state till further orders.

27/6/16

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Raipur (C.G.)

Endt. No. 1854 /TS/CECB/2016 Raipur, dated: 27/06/2016

Copy to:-

1. All concerned officers, Head Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur
2. Regional Officer, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur/Bilaspur/Bhilai-Durg/Korba/Raigarh/Ambikapur/Jagdalpur for information and necessary action.

Sd/-

Member Secretary
Chhattisgarh Environment Conservation Board
Raipur (C.G.)

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2015— फाल्गुन 29, शक 1936

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-2/2011/11/(6).— यत:, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि राज्य में द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये, बायलरों के समस्त वर्ग को बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 5) के कतिपय उपबंधों से अपवर्जित किया जाना आवश्यक हैं;

अतएव बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का सं. 5) की धारा 34 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बायलरों के समस्त वर्ग, जो राज्य में संस्थापित किये गये हैं या जो भविष्य में संस्थापित किये जायेंगे, को निम्नलिखित विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, धारा 8 की उप-धारा (3), (4), (5), (6) तथा (7), धारा 10 की उप-धारा (1), धारा 12, धारा 13, धारा 14 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) तथा (ब) एवं धारा 14 की उप-धारा (2) के प्रवर्तन से अपवर्जित करती है, अर्थात् :-

विनियम

(1) बायलर का स्वामी अपने बायलर का मरम्मत (रिपेयर) कार्य, यदि आवश्यक हो, भारतीय बायलर विनियम, 1950 के विनियम 392 के अंतर्गत समुचित श्रेणी के मरम्मतकर्ता (रिपेयरकर्ता) के माध्यम से करायेगा तथा अपने बायलर का निरीक्षण, बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बायलर आपरेशन इंजीनियर के माध्यम से करायेगा. बायलर का मरम्मत कार्य तथा निरीक्षण, भारतीय बायलर विनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा.

(2) बायलर के मरम्मत कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री (मटीरियल) तथा उसके पश्चात् परीक्षण, भारतीय बायलर विनियम, 1950 के अधीन विहित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार किया जायेगा. बायलर के मरम्मत कार्य के दौरान वेल्डिंग कार्य के लिये नियोजित वेल्डर को उक्त विनियम के अध्याय तेरह में यथाविहित समुचित श्रेणी का वैध प्रमाणपत्र धारक होना चाहिये. निरीक्षण, मरम्मत, मरम्मतकर्ता, वेल्डर, सामग्री परीक्षण प्रमाणपत्र, विनाशी परीक्षण तथा अविनाशी परीक्षण का अभिलेख, बायलर के स्वामी द्वारा संधारित किया जायेगा एवं बायलर निरीक्षकालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा.

(3) बायलर का संतोषप्रद मरम्मत, यदि किये गये हो, तथा निरीक्षण के पश्चात्, बायलर का स्वामी, इस अधिसूचना के साथ यथा संलग्न "बायलर प्रमाणपत्र", यह घोषणा करते हुये जारी करेगा कि निरीक्षण दिनांक से बारह माह की अवधि हेतु बायलर, अनुमोदित कार्य दबाव पर, परिचालन हेतु उपयुक्त है. इस योजना को "बायलर का स्वप्रमाणीकरण" के नाम से जानी जायेगी.

(4) बायलर का स्वामी, बायलर का प्रमाणपत्र दो प्रतियों में तथा नियमों या विनियमों के अधीन यथाविहित निरीक्षण शुल्क के चालान सहित, निरीक्षण दिनांक से सात दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षकालय को ऑनलाइन माध्यम से जमा करेगा. प्रमाणपत्र तथा चालान की प्राप्ति पर, छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षकालय, निरीक्षण पुस्तिका ज्ञापन में प्रमाणपत्र तथा चालान दर्ज करेगा तथा सम्यक् रूप से पावतीकृत प्रमाण पत्र की एक प्रति बायलर के स्वामी को सात दिवस के भीतर ऑनलाइन माध्यम से वापस करेगा. बायलर के स्वामी के विवेक पर यह प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से भी पूर्ण की जा सकेगी. इस योजना के अंतर्गत बायलर के स्वप्रमाणीकरण की प्रक्रिया, बायलर निरीक्षकालय द्वारा पावती देने के पश्चात्, पूर्ण समझी जायेगी.

(5) बायलर के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह अपने बायलर को, बायलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों तथा अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों/नियमों के अनुसार चलाये तथा संधारित करे. वह, उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन या दुर्घटना के लिये भी उत्तरदायी होगा.

(6) यह योजना अर्थात्, "बायलर का स्वप्रमाणीकरण" वैकल्पिक रहेगी तथा किसी भी बायलर का स्वामी, उद्योग संचालक को सुरक्षा निधि के चालान के साथ आवेदन करने के पश्चात्, इस योजना में शामिल हो सकेगा. सुरक्षा निधि नीचे दिये गये अनुसार होगी :-

(क)	1000 रेटिंग तक के बायलर के लिये	-	रु. 2000/-
(ख)	1000 रेटिंग से अधिक के बायलर के लिये	-	रु. 5000/-

किसी बायलर का स्वामी, किसी भी समय, उद्योग संचालक को आवेदन देकर इस योजना से प्रत्याहृत हो सकेगा तथा सुरक्षा निधि बायलर के स्वामी को वापस कर दी जायेगी. सुरक्षा निधि पर ब्याज देय नहीं होगा.

(7) शासन, किसी भी समय, इस अधिसूचना में उपांतरण कर सकेगा या वापस ले सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कार्तिकेया गोयल, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन का "बायलर का स्वप्रमाणीकरण" योजना के अंतर्गत बायलर/इकानामाइजर का प्रमाणपत्र

1. स्वामी का नाम एवं पदनाम : .....
2. बायलर/इकानामाइजर का पंजीयन कमांक : .....
3. बायलर/इकानामाइजर का प्रकार : .....
4. बायलर/इकानामाइजर की रेटिंग (एम^2) :.....
5. स्थान एवं निर्माण का वर्ष : .....
6. अधिकतम निरंतर वाष्पीकरण : .....
7. बायलर/इकानामाइजर का स्थल :.....
8. किये गये मरम्मत कार्य का विवरण :.....
9. जलभार परीक्षण.....से.....तक केजी/सीएम^2
10. अनुमोदित कार्य दबाव ..... केजी/सीएम^2

छत्तीसढ़ शासन की अधिसूचना कमांक .....दिनांक.....के अनुसार मैंने उपरोक्त बायलर/इकानामाइजर का निरीक्षण किया एवं मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अनुमोदित कार्य दबाव अर्थात् ..... केजी/सीएम^2 पर बारह माह अर्थात् ..... से .....तक बायलर/इकानामाइजर, आगे उपयोग करने हेतु उपयुक्त है ।

मरम्मतकर्ता का प्रतिहस्ताक्षर
(मरम्मत होने की स्थिति में)

हस्ताक्षर .....
.नाम .....
पद मुद्रा.....
मान्यता की श्रेणी एवं
वैधता .....
पता .....

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
बायलर आपरेशन इंजीनियर का नाम .....
प्रमाणपत्र का कमांक एवं जारीकर्ता प्राधिकारी .....
.....
छत्तीसगढ़ का पृष्ठांकन कमांक (यदि लागू हो).....
पता.....
हस्ताक्षर .....
बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 2(डी) के अधीन स्वामी का नाम .....
पद मुद्रा .....
पता .....

पावती

प्रमाणपत्र तथा चालान का विवरण, निरीक्षण पुस्तिका ज्ञापन में दर्ज किया गया एवं प्रमाणपत्र की एक प्रति स्वामी को वापस की गई ।

दिनांक .....
स्थान .....

निरीक्षक वाष्पयंत्र
छत्तीसगढ.